जल्बा ख्नोरव
बनाम
सिकन्दर खोरव

14 फारम सं० 562

आदेश पत्रक

देखे अभिलेख हस्तक, 1914 का नियम 129

... पत्रक सं० .... तक जिला धनबाद

...पी. वाद संख्या .... 495/17 .... धारा 144 द.प्र.सं.

तिथि	पदाधिकारी का आदेश और हस्ताक्षर	अभ्युक्ति
23.3.17	दं. प्र. सं. की धारा-144 के तहत थाना प्रभारी, गोविन्दपुर अ. प्रा. सं. 10 /17 दिनांक-22-3-2017 से प्राप्त। प्राप्त प्रतिवेदन में दिया गया है कि प्रथम पक्ष एवं द्वितीय पक्ष के बीच भूमि विवाद है। जिसमें पक्षकारों के बीच शांति भंग होने की संभावना बनी हुई है, इसलिए दोनों पक्षों के विरूद्ध द. प्र. सं. की धारा-144 के तहत कार्रवाई करके प्रतिबंधित करने की अनुशंसा की गई है ।	
	पुलिस प्रतिवेदन का मैंने अवलोकन किया। अवलोकनोपरांत मैं संतुष्ट हूँ कि उक्त विवाद को लेकर पक्षकारों के बीच शांति भंग होने की संभावना बनी हुई है. जिसका तुरंत रोका जाना नितान्त आवश्यक है ।	
	अतः उभय पक्षो के विरूद्ध दं. प्र. सं. की धारा-144 के अन्तर्गत कार्रवाई प्रारंभ की जाती है। कार्रवाई पर्यन्त 60 (साठ) दिनों तक प्रश्नगत भूमि पर शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु पक्षकारों को आदेश दिया जाता है कि निर्धारित तिथि- 5.4.17 को 10.00 बजे पूर्वा० में मेरे न्यायालय में निश्चित रूप से उपस्थित होकर अपना अपना कारणपृच्छा दाखिल करें कि क्यों नहीं धारा-144 के अन्तर्गत जारी निषेधाज्ञा आपके विरूद्ध सम्पुष्ट किया जाय ।	
	प्रश्नगत भूमि का विवरण	
	मौजा-दलदली, मौजा नं0-215, खातानं0-13, प्लोट सं0-1305, रकवा-15 डी. चौहद्दी-पुरब-आनंद रवानी का परती जमीन, पश्चिम-राजू खान का परती जमीन, उत्तर-कच्ची सड़क, दक्षिण-राम लाल माँझी का पक्के का मकान ।	
	लेखापित एवं संशोधित	
	अनुमंडल दण्डाधिकारी धनबाद ।	
	अनुमंडल दण्डाधिकारी धनबाद ।	

Digitally signed by PREM KUMAR TIWARY
Date: 2023.08.22 16:55:19 +05:30
Location: 192.168.29.44

Scanned with OKEN Scanner